जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 232 वीं बैठक दिनांक 10.12.2015 को दोपहर 11.45 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर
2. श्रीमति लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर
3. श्री एम.एस. रत्नु , अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम एव भूमि), जविप्रा, जयपुर
4. श्रीमती रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व) जविप्रा, जयपुर
5. श्री नीरज तिवाड़ी, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे

1. श्रीमती आशा अवस्थी ,वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
2. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (बीपीसी ले आउट प्लान)
3. श्री सुभाष महरिया , उपायुक्त जोन –4
4. श्री सुखवीर सैनी उपायुक्त जोन –7
5. श्री रामलाल गुर्जर, उपायुक्त जोन –9
6. श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–11
7. श्री एम.एस. पालीवाल, उपायुक्त जोन – 12 व 5
8. श्री जगवीर सिंह, उपायुक्त जोन– 19
9. श्री आर.एस. चौहान, उप रजिस्ट्रार सहकारिता
10. सहायक नगर नियोजक, जोन–4,5,7,9,11,12,19

एजेण्डा संख्याः–1

232/10.12.2015

विषयः–बीपीसी (एलपी) की बैठक संख्या 231 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि हेतु।

समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्याः–2 (जोन–4)

232/10.12.2015

विषयः– शंकर भवन गृ.नि.स. समिति की योजना अशोक वाटिका के भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, 4 व 23 का पुनर्गठन किये जाने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तावित पुर्नगठन का अनुमोदन किया गया। प्रकरण में नियमानुसार पूरे क्षेत्र का पुर्नगठन शुल्क लेय है। पुर्नगठित भूखण्ड के पैरामीटर्स जविप्रा भवन विनियम अनुसार रखे जावें।

एजेण्डा संख्याः–3 (जोन–5)

232/10.12.2015

विषयः– पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना 10–बी में भूखण्ड संख्या बी–151 व 259 के मध्य स्वीकृत सुविधा क्षेत्र के दक्षिणी भू–भाग का अन्तिम उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्धारण किये जाने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र के दक्षिणी भाग का End Use अंतिम उपयोग " प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र " किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–4 (जोन–5)

232/10.12.2015

विषयः– माणिक्यपुरी गृ.नि.स.स. की योजना नं. 14 (गोविन्दा कॉलोनी) गोपालपुरा बाईपास के भूखण्ड संख्या 38 को सड़क क्षेत्र से मुक्त करने व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2015 की पालना के सन्दर्भ में।

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 9.4.2015 के अनुपालना में तथा इस भूखण्ड के दक्षिण में अवस्थित योजना शक्ति नगर के अनुमोदित भूखण्ड सं. 63 व 64 के पट्टे जारी होने तथा निर्मित होने को दृष्टिगत रखते हुए भूखण्ड संख्या 38 को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा संख्याः–5</u> (जोन–9)

232 / 10.12.2015

विषयः– जोन–9 के क्षेत्राधिकार में निजी खातेदारी की आवासीय योजना **"आशादीप किंग्स कोर्ट"** में पार्क हेतु आरक्षित 4066.11 वर्ग मीटर के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल 406.60 वर्ग मीटर का क्लब हाउस हेतु एण्ड यूज निर्धारण बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पूर्ण उल्लेख करते हुए तथा राजस्थान टाउनशिप पालिसी में 10 हैक्टेयर से कम की योजनाओ के लिए इसका प्रावधान नहीं होने की स्थिती का उल्लेख करते हुए , इस बाबत राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर, तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें।

<u>एजेण्डा संख्याः–6</u> (जोन–9)

232 / 10.12.2015

विषयः– ग्राम चक सालगरामपुरा तहसील सांगानेर में क्षेत्रफल 18547.39 वर्ग मीटर के एकल पटटे की कार्यवाही के दौरान सैक्टर सड़को हेतु 10 प्रतिशत से अधिक निःशुल्क भूमि समर्पित किये जाने के कारण अतिरिक्त 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के समतुल्य राशि की छूट के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 26 फरवरी 2013 में मास्टर प्लान – सैक्टर प्लान की सडकों के मार्गाधिकार से 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र प्रभावित होने पर सुविधा क्षेत्र हेतु समानुपात में छूट दिया जाना प्रावधानित है। आवेदक द्वारा सुविधा क्षेत्र की समतुल्य राशि में छूट चाही गई है, अतः इस संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर तदानुसार कार्यवाही की जावे।

<u>एजेण्डा संख्याः–7</u> (जोन–12)
232 / 10.12.2015

विषयः– राजस्व ग्राम बगरूरांवान तहसील सांगानेर ए.आर.जी. इण्डस्ट्रीयल पार्क औधोगिक योजना के एक भूखण्ड के सबडिविजन हेतु।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार ए आर जी इन्ड्स्ट्रीयल पार्क औद्योगिक योजना के भूखण्ड संख्या I–68 का उपविभाजन अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा संख्याः–8</u> (जोन–12)

232 / 10.12.2015

विषयः– आवेदक कनक वृन्दावन रिसोटर्स द्वारा ग्राम सिरसी तहसील जयपुर में स्थित आवासीय योजना कनक वृन्दावन के ब्लॉक एच 160 फीट रोड के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

एजेण्डा संख्याः–9 (जोन–12)

232/10.12.2015

विषयः– मैसर्स यूनिक बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स द्वारा ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 90, 91, 92 क्षेत्रफल 60246.51 वर्गमीटर सुविधा क्षेत्र की भूमि के एण्ड यूज निर्धारण के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र 3170.87 वर्गमीटर क्षेत्र का End Use सामुदायिक केन्द्र किये जाने का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा संख्याः–10 (जोन–12)

232/10.12.2015

विषयः– मैसर्स यूनिक बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स द्वारा ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 66/345, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79 क्षेत्रफल वर्गमीटर 44753.06 सुविधा क्षेत्र की भूमि के एण्ड यूज निर्धारण के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र 2363.50 वर्गमीटर क्षेत्र का End Use सामुदायिक केन्द्र किये जाने का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा संख्याः–11 (जोन–19)

232/10.12.2015

विषयः– पृथ्वीराज नगर के राजस्व ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजडों का वास तहसील सांगानेर में ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा सृजित आवासीय योजना हनुमान विहार के भूखण्ड संख्या 101, 101–ए, 102, 102–ए का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या 101, 101ए, 102, 102ए के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–12 (जोन–8/मास्टर प्लान)

232/10.12.2015

विषयः– सैक्टर प्लान संख्या 38 से 42 में खसरा नम्बर 413, 414, 420, 421, 422 में से प्रस्तावित 18 मीटर सैक्टर सड़क के अलाईमेंन्ट में संशोधन बाबत्।

समिति के समक्ष जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया। जोन द्वारा एजेण्डा में दिये गये प्रस्तावों के अनुसार सेक्टर प्लान 38 से 42 में खसरा 413, 414, 420, 421, 422 में से प्रस्तावित 18 मीटर सेक्टर सडक के अलाईनमेंट में संशोधन बाबत आम जनता से आपत्ति/सुझाव 30 दिवस की अवधि में लिये जाने हेतु जोन स्तर पर विज्ञप्ति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा संख्याः–13</u> (जोन–9/मास्टर प्लान)

232/10.12.2015

विषयः– सैक्टर 29 के सैक्टर प्लान में दर्शायी गयी 160 फीट चौडी सैक्टर सड़क के एलाईमेन्ट को मौका स्थिति अनुसार परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

समिति के समक्ष जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात प्रश्नगत 160 फीट चौडी सडक को मौका स्थिति व मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार सेक्टर प्लान में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्या – 1 (जोन – 7)</u>

232/10.12.2015

विषय :– जविप्रा की अनुमोदित योजना लता नगर में मौके की स्थिति अनुसार उपलब्ध भूमि व डिमार्केशन अनुसार योजना मानचित्र में संशोधन करने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निजी खातेदार द्वारा प्रस्तुत संशोधित योजना मानचित्र के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। प्रकरण में उपायुक्त जोन के स्तर से पूर्व में जारी पट्टा विलेखों का समर्पण करवाया जाकर अग्रिम निष्पादन की कार्यवाही की जावें।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्या – 2 (जोन – 19)</u>

232/10.12.2015

विषय :– नवकार नगर योजना के भूखण्ड संख्या–1 मे से गुजर रही 30 फीट सडक को विलोपित करने के कम में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जोन स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं में इस प्रकार के आंशिक संशाधनों के लिए पुर्नविचार कर निर्णय लेने हेतु जोन स्तरीय समिति सक्षम है। अतः भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों पर जोन स्तरीय समिति के स्तर से निर्णय लिया जाकर निस्तारण किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या – 3 (जोन – 4)

232 / 10.12.2015

विषय :– न्यू पिंकसिटी गृ.नि.स समिति के द्वारा सिद्धार्थ नगर डी योजना ग्राम सवाई गैटोर की योजना अनुमोदन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जोन स्तर से मास्टर प्लान –सैक्टर प्लान की प्रभावित समस्त सडको के पूरे क्षेत्र का सर्वे करवाकर तत्पश्चात इन सडकों में प्रस्तावित संशोधनो के लिए जविप्रा अधिनियम की धारा 25 के तहत अग्रिम कार्यवाही के अन्तर्गत आपत्ति – सुझाव आमंत्रित किये जाने की धारा 25 (3) की कार्यवाही की जावें। जोन स्तर से जविप्रा अधिनियम की धारा 25 की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात जोन स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार व राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों की योजनाओं के संबंध में जारी आदेशों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या – 4 (जोन – 5)

232 / 10.12.2015

विषय :– योजना विश्वेश्वरैया नगर (न्यू पिंकसिटी गृ.नि.स.स) व योजना विश्वेश्वरैया नगर विस्तार (अपोलो गृनि.स.स.) के मध्य के सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भू–भाग का अन्तिम उपयोग पार्क निर्धारण किये जाने बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र का End Use अंतिम उपयोग पार्क निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेन्डा संख्या 5 (जोन– 11)

232 / 10.12.2015

विषय : निजी खातेदारी की आवासीय योजना "इण्डी सिटी (नीलगीरी ब्लॉक)" योजना मानचित्र अनुमोदन करने बाबत्।

उपायुक्त जोन द्वारा एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया की आवेदित भूमि का भू–उपयोग यू–3 व ग्रामीण है। अतः इन भू–उपयोग में अनुज्ञेय गतिविधियों के अनुरूप प्रस्तावित योजना मानचित्र का अनुमोदन किया जावे। योजना में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अनुरूप ई डब्ल्यू एस / एल आई जी प्रस्तावित किये गए है। अतः उपरोक्तानुसार योजना अनुमोदन कर दिया जावे।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा सं.– 6 (जोन–11)</u>

<u>232/10.12.15</u>

विषयः– गोपाल चन्द तुलवाल द्वारा ग्राम चिरोटा तह. सांगानेर खसरा नं. 209/2 रकबा 0.0675 हैक्ट. व खसरा नं. 212/2 रकबा 0.20 हैक्ट. किता 2 कुल रकबा 0.2675 हेक्टर भूमि पर एकल पट्टे हेतु मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

समिति के समक्ष बीपीसी (एल.पी.) में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों के संबध में विवरण चैक लिस्ट पर विस्तृत रूप से चर्चा पश्चात् निर्णय लिया गया है कि

1. एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत चैक लिस्ट को स्थगित रखा जाये।
2. प्रकरण का जोन स्तर पर विस्तृत रूप से परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही की जायें।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा सं.– 7 (जोन–5)</u>

<u>232/10.12.15</u>

विषयः– डी.बी.सिविल रिट (पी.आई.एल.) पीटिशन संख्या 1016/2012 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.08.2015 (22 गोदाम से फागी रोड़ का निरीक्षण कर उसकी चौड़ाई के संबंध में) की पालना बाबत्।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विस्तृत चर्चा की गयी। डी.बी.सिविल रिट (पी.आई.एल.) पीटिशन संख्या 1016/2012 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.08.2015 को पारित किया जा चुका है, जिसके संबंध में स्थल निरीक्षण भी किया गया।

सड़क की चौड़ाई निर्धारित किये जाने के संबंध में जविप्रा में दिनांक 03.12.2015 को बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई व निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

1. जोन–18–19 द्वारा अवगत कराया गया कि उसके क्षेत्र में सैक्टर प्लान एवं मास्टर विकास योजना–2025 दोनों में यह सड़क 200 फीट ही है एवं भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए इसको जोन–18–19 के क्षेत्र में यथावत मास्टर विकास योजना –2025 व सैक्टर प्लान अनुसार ही रखा जाना उचित होगा।
2. जोन–8 द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके क्षेत्र में सैक्टर प्लान एवं मास्टर विकास योजना–2025 में यह सड़क 200 फीट है एवं भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए इसको जोन–8 के क्षेत्र में यथावत मास्टर विकास योजना – 2025 व सैक्टर प्लान अनुसार ही रखा जाना उचित होगा।
3. जोन–4 के द्वारा अवगत कराया गया कि जोन के क्षेत्र में प्रश्नगत सड़क को मास्टर विकास योजना – 2025 अनुसार ही रखा जाना उचित होगा।
4. जोन–5 द्वारा अवगत कराया गया कि
   (अ) यह सड़क बी–2 बाईपास से गोपालपुरा बाईपास तक सैक्टर प्लान, मास्टर प्लान व जोनल विकास योजना–3 में 100 फीट स्वीकृत है।

(ब) गोपालपुरा बाईपास से महेश नगर फाटक तक सैक्टर प्लान में 100 फीट व जोनल विकास योजना में 30 मीटर सड़क स्वीकृत की गई है व मास्टर विकास योजना--2025 में इस भाग में सड़क दर्शित नहीं है परन्तु मास्टर विकास योजना–2011 में यह सड़क 100 फीट स्वीकृत थी।

(स) महेश नगर फाटक से करतारपुरा नाले तक मास्टर विकास योजना–2025 में 100 फीट व सैक्टर प्लान 4 के भू भाग में 100 फीट स्वीकृत है।

(द) करतारपुरा नाले से 22 गोदाम तक इस सड़क की चौड़ाई मास्टर विकास योजना–2025 में 100 फीट व सैक्टर प्लान–25 के भाग में 60 फीट स्वीकृत की गई है।

(य) बीपीसी (एलपी) द्वारा वर्ष 2002 में लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त सड़क की चौड़ाई 22 गोदाम से महेश नगर फाटक तक 40 फीट व महेश नगर फाटक से गोपालपुरा बाईपास तक 60 फीट की गई थी।

समिति द्वारा उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर गहन चर्चा पश्चात् निर्णय लिया गया कि बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 में सड़क की चौडाई मास्टर विकास योजना–2025 के अनुसार यथावत रखे जाने एवं जोन–5 के क्षेत्राधिकार मे इस सड़क की चौड़ाई को प्राधिकरण की बैठक से अनुमोदन की अभिशंषा में 100 फीट रखे जाने का निर्णय लिया गया।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा सं.– 8 (जोन–7)</u>

<u>232 / 10.12.15</u>

विषयः– सेक्टर प्लान–56 की प्रस्तावित 24 मीटर सड़क अलाईनमेंट में बदलाव व सेक्टर प्लान–56 की 30 मीटर सड़क को विलोपित कर 24 मीटर सड़क को प्रस्तावित करने बाबत्।

समिति के समक्ष जोन द्वारा प्रस्तुज एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया। पूर्व में प्रकरण को बी.पी. सी. (एल.पी.) की 229 वीं बैठक में रखा गया था, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. जोन द्वारा प्रस्तावित 24 मीटर सड़क जो रंगोली गार्डन के सामने से होते हुये सिरसी को जोन वाली आंशिक निर्मित सड़क को सेक्टर प्लान में 24 मीटर प्रस्तावित किया जावें।
2. एजेण्डा में प्रस्तावित आंशिक विलोपित की जाने वाली 3 सड़कों तथा नवीन प्रस्तावित सड़क पर जोन द्वारा किये गये कमिटमेंट के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर टिप्पणी दी जानी है।
3. विलोपित की जाने वाली 3 आंशिक सड़कें क्रमशः 18, 24 व 30 मीटर सड़कों तथा 24 मीटर की नवीन प्रस्तावित सड़क से प्रभावित भूमिधारकों / खातेदारों से सहमति ली जावें।
4. उक्त संशोधन हेतु जोन स्तर से आम जनता से दो प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति मय नक्शें प्रकाशित कर 30 दिवस की अवधि में आपत्ति / सुझाव प्राप्त किये जावें।

उक्त निर्णय के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में जोन द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 01.09.2015 को दो समाचार पत्रों में जारी की गयी, जिस पर कुल 8 आपत्ति / सुझाव प्राप्त हुये।

1. आपत्ति क्रमांक 1 व 2 के संबंध में जोन द्वारा मौका देखा गया। मौका स्थिति पत्रावली में 29 / सी पर संलग्न पी.टी.सर्वे अनुसार है। विज्ञप्ति में उल्लेखिता सड़क 2 (आंशिक) एवं सड़क 3 (आंशिक) मौके पर निर्मित नहीं है एव ना ही डिमार्केशन किया हुआ है। मौके पर कृषि भूमि रिक्त हैं आपत्ति में कच्चे रास्तों का उल्लेख किया गया है। कच्चे रास्तों का अलाईमेंट भी सड़क 2 (आंशिक) एंव सड़क 3 (आंशिक) के अनुरूप नहीं है तथा आपत्ति में उल्लेखित प्राचीन मंदिर कुण्डा की ढाणी के पास स्थित है जो कि प्रस्तावित 24 मीटर सड़क से अप्रभावित है।

2. आपत्ति क्रमांक 1 व 2 के संबंध में आपत्ति में उल्लेखित तथ्य तकनीकि रूप से महत्वपूर्ण / संतुष्टिजनक नहीं है। अतः आपत्ति विचारणीय नहीं है। प्रस्तावित 24 मीटर सड़क मौके पर 30 से 40 फीट मौजूद है तथा सडक निर्मित है। अतः मौके पर निर्मित सड़क अनुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
3. आपत्ति क्रमांक 3 व 4 का जोन–17 के क्षेत्राधिकार से संबंधित होने के कारण विचारणीय नहीं माना गया।
4. आपत्ति क्रमांक 5 व 8 के संबंध में प्रस्तावित संशोधन के संबध में अनापत्ति / सहमति प्रकट की गयी है।

समिति द्वारा उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा पश्चात् सेक्टर प्लान–56 की 30 मीटर सड़क व 24 मीटर सड़क को जोन के प्रस्तावों के अनुसार सेक्टर प्लान में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया। पूर्व बी.पी.सी. (एल.पी.) के निर्णय व एजेण्डा में सहवन से सेक्टर 56 ए अंकित है, जिसे सेक्टर 56 पढ़ा जावें।

15/12/15

सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)

कमांक :–जविप्रा / सस / बीपीसी – एल पी / 2015 / डी– 172 दिनांक : 15/12/15

प्रतिलिपी सूचनार्थः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व / पश्चिम / पीआरएन / एल.पी.सी / भूमि) जविप्रा, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान) जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन ।
7. विशेषाधिकारी जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
9. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।

वरिष्ठ नगर नियोजक

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)